रजि० नं० बी ४४४८
लाअिसेन्स नं० १५

धर्मोंके प्रति सरकारकी नीति

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९ सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई अंक ४८

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २८ जनवरी, १९५६

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

सच्ची सलाह

पाठकोंने रविवारके अखबारोंमें छपा वह वक्तव्य देखा होगा, जो महाराष्ट्रके आजीवन साधुचरित राष्ट्रसेवक श्री अप्पासाहब पटवर्धनने बंबअीके संबंधमें दिया है। गुजरातको अिस नैष्ठिक सेवकका परिचय ताजा कराना चाहिये। अप्पासाहब गांधीजीके अेक पुरानेसे पुराने साथी हैं। १९१९ में वे राष्ट्रके स्वतंत्रता आन्दोलनमें शामिल हुअे और गांधीजीके आश्रममें आकर अुन्होंने आश्रमका जीवन निष्ठापूर्वक अपनाया। कुछ साल तक अुन्होंने सत्याग्रह आश्रमकी राष्ट्रीय शालामें शिक्षकका काम किया। १९२१ में गूजरात विद्यापीठ आरंभ हुआ, तब कुछ समय तक अुसमें अुन्होंने दर्शन-शास्त्रके अध्यापकके रूपमें काम किया। वे मूलतः साधक हैं; राष्ट्रकी सेवाको अुन्होंने जीवनकी साधनाके रूपमें अपनाया है और अुसे सुशोभित किया है। परंतु यह लेख मैं अुनका लंबा परिचय देनेके लिअे नहीं लिख रहा हूं, बल्कि बंबअीके बारेमें अुन्होंने जो वक्तव्य निकाला है अुसकी ओर सबका, और खास तौर पर महाराष्ट्रके सब भाअी-बहनोंका, ध्यान खींचनेके लिअे लिख रहा हूं।

आदरणीय भाअी अप्पासाहबका अधिक परिचय देनेके लिअे प्रसंगवश अेक बात और कहूंगा कि पाठक अुनकी हाल ही गुजरातीमें प्रकाशित हुअी 'सेवाधर्म' नामक पुस्तक (मूल मराठी) पढ़ें। अुसकी प्रस्तावना श्री किशोरलाल मशरूवालाने 'अथातो धर्म-जिज्ञासा' शीर्षकसे लिखी है। सेवा अेक साधना है — यह अप्पासाहबका जीवन-मंत्र है; अुसका निरूपण अिस पुस्तकमें पाठकोंको अुनके जैसे सूक्ष्म विचारक, गहरे अभ्यासी और नम्रताके मूर्तिरूप नैष्ठिक साधककी कलमसे लिखा मिलेगा। अस्तु।

श्री अप्पासाहबने बम्बअीके बारेमें यह कहा है कि केन्द्रीय सरकारने बम्बअीके संबंधमें जो निर्णय किया है अुसके विषयमें यह कहना ठीक नहीं है कि वह महाराष्ट्रके साथ अन्याय करनेवाला या अुसका अपमान करनेवाला है। भारत-सरकारका निर्णय सर्वथा अुचित है, अिसलिअे अब महाराष्ट्रको बम्बअीके लिअे आन्दोलन नहीं करना चाहिये।

विदर्भके साथ संपूर्ण मराठी-भाषी प्रदेश अेक राज्य बने, महाराष्ट्रकी यह मांग पूरी हो गअी है। विदर्भका अलग राज्य अब नहीं रहेगा। यदि हम सब मिलकर बम्बअी शहरका सवाल हल न कर सकें, तो भारत-सरकारका निष्पक्ष निर्णय माननेमें ही देशकी अेकता और अुसके सब राज्योंका मीठा संबंध निहित है।

यह चीज महाराष्ट्रको अुसके अेक सपूतने कही, अिसके लिअे वे हमारे धन्यवादके पात्र हैं। क्योंकि अैसी बात सार्वजनिक रूपसे कहनेके लिअे भी आज साहस और चरित्रबलकी आवश्यकता है।

श्री अप्पासाहबने दूसरी भी दो-तीन महत्त्वपूर्ण बातें अपने वक्तव्यमें कही हैं। अेक तो अुन्होंने यह कहा कि श्री शंकरराव देवको अुपवास नहीं करना चाहिये। और अगर करना ही हो तो चार-पांच दिनसे ज्यादाका न करें। क्योंकि अुनके अुपवाससे दूसरोंके साथ शायद अन्याय होगा और जो दंगा-फसाद वगैरा चल रहा है अुसके शान्त होनेके बजाय अुसे अुत्तेजन ही मिलेगा।

श्री देवने कहा है कि अुपवास करेंगे तो वे आत्मशुद्धिके लिअे ही करेंगे। वह किसीके खिलाफ नहीं होगा। परंतु अिस संबंधमें श्री देवको यह देखना चाहिये कि अुनका यह कदम अुन लोगोंके खिलाफ ही माना जायगा, जो बम्बअी महाराष्ट्रको न देनेका मत रखते हैं; और लोकमानस अिस कदमको यदि अैसा ही समझे तो अिसमें अुसका दोष नहीं माना जा सकता।

अेक दूसरा विचार भी यहां पैदा होता है। श्री शंकरराव देव अहिंसासे काम करनेमें विश्वास रखनेवाले हैं। अब यह तो स्पष्ट दिखाअी देता है कि अैसा करना संभव नहीं है; अितना ही नहीं अुनके वशमें न रहें अैसे तत्त्व अुनके संयुक्त महाराष्ट्रके आन्दोलनमें मिल गये हैं और चारों तरफ हिंसा फूट पड़ी है। अैसे वक्त अुनका यह धर्म हो जाता है कि वे अिस आन्दोलनको रोक सकें तो रोकें, अथवा और कुछ न हो सके तो अुससे बाहर निकल जायं। हिंसाके साथ अहिंसा नहीं चल सकती; अैसा हो तो लोगोंमें गलत-फहमी पैदा होती है। अहिंसाको कोअी अुस रूपमें समझते नहीं, बल्कि हिंसक दल अुसका नाजायज फायदा ही अुठाते हैं; और अिस समय यही हो रहा है।

श्री देव अिस समय बम्बअीमें शांति स्थापित करनेके लिअे घूम रहे हैं, यह प्रशंसनीय है। अुन्हें आगे बढ़कर अुपवासकी बात छोड़कर बम्बअीको अहिंसाका अभयदान भी देना चाहिये और जिस आन्दोलनने निरी हिंसा और गुंडाशाहीका रूप ले लिया है अुसे छोड़ देना चाहिये।

महाराष्ट्रको बम्बअी क्यों चाहिये? अिसीलिअे न कि वह सोनेकी नगरी है? पर वह नगरी किसी दूसरे राष्ट्रमें तो नहीं ही जा रही है। और अुसके धनका लाभ बम्बअी राज्यसे बननेवाले नये राज्योंको भी अवश्य मिलेगा। यह विचार करना ही होगा और मनको मनाना होगा। मेरी यह नम्र प्रार्थना है कि श्री शंकरराव देव जैसे नेताको श्री अप्पासाहबकी कही हुअी बात मानकर लोगोंको अुस विचारकी ओर मोड़नेके कार्यमें अपने सेवाबलका अुपयोग करना चाहिये।

महाराष्ट्रके धारासदस्य और मंत्री अपने पदोंसे अिस्तीफा दें, अैसा जो प्रस्ताव पास हुआ है अुसके बारेमें भी श्री अप्पासाहबने अपना मत प्रकट किया है। पूरा वक्तव्य तो पढ़नेको नहीं मिला। अुसके अखबारोंमें प्रसिद्ध हुअे सारमें अिस संबंधमें अितना ही कहा गया है कि ये सब सदस्य जब तक कांग्रेसके मूल सदस्य बने रहते हैं, तब तक अुनका अिस्तीफा देना अुचित नहीं है। अिस छोटीसी बातमें बड़ा गंभीर अर्थ भरा हुआ है। आज कांग्रेसने बम्बअी राज्यकी

www.vinoba.in

पुनर्रचनाके बारेमें अेक निर्णय किया है। अुसे बदलनेके लिअे महाराष्ट्रने कांग्रेससे प्रार्थना की। अुसके अनुसार ही काम हुआ। अुसमें महाराष्ट्रके नेताओंने साथ दिया। अब अुसे स्वीकार करके लोगोंको समझाना अुनका फर्ज है। संभव है यह घूंट कड़वा लगे; फिर भी यह कहा जायगा कि कांग्रेसके वफादार सेवकोंके नाते अैसा करना अुनका धर्म हो जाता है। यह धर्म बजानेका सच्चा अवसर आने पर जिम्मेदारीकी जगहोंसे अिस्तीफा देनेकी बात करना स्पष्ट ही अनुचित है। हां, कांग्रेसके सदस्य न रहकर वे अैसा कर सकते हैं।

अिस प्रश्नसे भी बड़ा प्रश्न आज तो संयुक्त महाराष्ट्र और बम्बअीके आन्दोलनका है। अब यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि यह आन्दोलन पूरा हो गया और संयुक्त महाराष्ट्रके नये सार्वजनिक जीवनको संगठित करनेकी दिशामें मुड़ना चाहिये। यह चीज अब बहुत जरूरी हो जाती है, वर्ना सच पूछा जाय तो अिससे स्वयं महाराष्ट्रको और अुस वजहसे अुसके पड़ोसी राज्यों तथा संपूर्ण राष्ट्रको भारी कठिनाअियों और संकटोंका सामना करना पड़ेगा। देशकी अेकता और प्रगतिके लिअे भाषावादका अगर कहीं डर है तो यहीं है।

यह प्रश्न केवल गुजराती-भाषी और मराठी-भाषी लोगोंका नहीं है। यह तो शांति और समानतासे भारतके सारे राज्योंकी और संपूर्ण देशकी प्रगति साधनेके मार्गमें जो लोग दंगा-फसाद, लूट-खसोट, धमकी, और गुंडाशाही वगैराके हिंसक तरीकेसे काम लेना चाहते हैं, अुनके खिलाफ लोकशाहीकी समग्र शक्तिको जाग्रत करने और प्रगतिको फिरसे सरल रास्ते पर लगानेका प्रश्न है। अिसमें कोअी शक नहीं कि सब कोअी अिस मूल वस्तुको ध्यानमें रखकर काम करें, तो ही देशमें शांति और सुख-समृद्धिकी स्थापना होगी।

२४–१–'५६ **मगनभाई देसाई**

(गुजरातीसे)

भाषा-संबंधी जो क्रान्ति हमें चाहिये

[राजभाषा-कमीशनके अध्यक्ष श्री बी० जी० खेर द्वारा मद्रासमें १२ जनवरी १९५६ को दिये गये भाषणसे।]

१

भाषाकी समस्याके बुनियादी मुद्दे

कमीशन और अुसके अध्यक्षके नाते मैं — दोनों फिलहाल अिन मुद्दों पर बिलकुल खुला दिमाग रखते हैं। फिर भी, अिस समस्याके कुछ बुनियादी मुद्दे हैं, जो मुझे बिलकुल स्पष्ट दिखाअी देते हैं। पिछले अक्तूबरमें पूनाकी डेक्कन कॉलेज पोस्ट-ग्रेज्युअेट अेण्ड रिसर्च अिन्स्टिटयूट नामक संस्थामें भाषाशास्त्रके शरत्कालीन वर्गके अुद्घाटनके समय मैंने जो भाषण * दिया था, अुसमें अिनमें से कुछ मुद्दों पर मैंने प्रकाश डाला था और साधारण तौर पर हमारे देशकी भाषा-संबंधी समस्याके हलके बारेमें अपनी दृष्टि बताअी थी।

अुस भाषणके समय मैंने समस्याके बुनियादी मुद्दोंकी जिस दृष्टिसे चर्चा की थी, अुसे पिछले करीब तीन माहमें कमीशनने देशके ७–८ राज्योंका जो दौरा किया अुसमें बहुत बड़ी पुष्टि मिली है। अिस दौरेमें मुझे जीवनके सारे क्षेत्रोंमें काम करनेवाले अलग अलग प्रदेशोंके सैकड़ों लोगोंसे अिन मुद्दों पर चर्चा करनेका अवसर मिला। यहां मैं अितना जोड़ना चाहूंगा कि अिन लोगोंमें से ज्यादातर लोग अहिन्दी प्रदेशोंके थे।

लोकसभामें और दूसरी जगह राज्य-पुनर्रचनाके बारेमें जो चर्चायें हुअीं, अुनसे हम सबको यह स्पष्ट समझमें आ गया कि देशकी विभिन्न भाषाओं तथा अभिव्यक्तिके सर्वसामान्य माध्यमके परस्पर संबंधके अिस प्रश्न पर बड़ी सावधानीसे चर्चा करनेकी जरूरत है।

यहां मैं अैसे कुछ मुद्दोंका जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने हालके कुछ महीनोंमें मेरे मन पर छाप डाली है।

भारतकी अेकता और अखंडता

सबसे पहले तो मैं अिस बातसे बहुत प्रभावित हुआ कि हर प्रदेशके जिम्मेदार लोगोंने बड़ी संख्यामें देशकी अेकता और अखंडताको कायम रखनेकी आवश्यकताको प्रमुख महत्त्व दिया। दूसरी जगहोंकी तरह मद्रासमें हमने पिछले कुछ दिनोंमें जो साक्षी ली, अुसमें भी यही भावना ओतप्रोत थी।

जैसा कि आप सब मानेंगे, यह अेकता केवल शासनकी अेक अिकाअीके रूपमें देशकी वैधानिक अेकताकी बात नहीं है। यह जीवनके दूसरे विभिन्न पहलुओंको भी छूती है, जिनमें भारतीय राष्ट्रकी सांस्कृतिक और भावनात्मक अेकता भी शामिल है।

अिस पीढ़ीके हम लोगोंको भारतकी राजनीतिक स्वतंत्रता और संपूर्ण देशकी अेकताको देखनेका अनोखा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आगे अपने भाग्यको बनाना या बिगाड़ना हमारे हाथमें है। मेरा निवेदन है कि भारतीयोंकी अिस पीढ़ीके सामने अगर कोअी अेकमात्र सबसे बड़ा ध्येय हो सकता है तो यही है कि देशकी अिस अेकताको मजबूत बनाया जाय, जिसका भारत आज दो हजार वर्ष बाद पहली बार अुपभोग कर रहा है। अिसलिअे अिस बातकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी, यद्यपि आश्चर्य बिलकुल नहीं हुआ, कि अिस वक्त सारे विचारशील भारतीयोंकी अेकमात्र भारी चिन्ता और प्रमुख लगन यही है कि देशकी अेकता और अखंडताकी रक्षा की जाय — न केवल राजनीतिक अर्थमें बल्कि दूसरे और अधिक महत्त्वपूर्ण अर्थोंमें भी, जिनमें सांस्कृतिक अर्थ भी शामिल है।

व्यवहारका अखिल भारतीय माध्यम

प्रधानमंत्रीने अुचित रूपमें जिसे 'भावनात्मक अेकता' कहा है, अुस अेकताके स्तरसे नीचे अुतरकर भाषाके व्यावहारिक विचार पर आने पर — जो भावनात्मक अेकताके स्थायित्वके लिअे जरूरी है — अिस बातसे अिनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देशके विभिन्न प्रदेशोंके बीच आपसी संबंधके सारे व्यवहारोंके लिअे अेक सर्वसामान्य माध्यमकी जरूरत है।

अभी तक व्यवहारके अिस माध्यमका काम अंग्रेजी भाषा करती थी, जो हमारे भूतपूर्व शासकोंकी भाषा थी। वे लोग शासनतंत्र, कानूनी अदालतों, शिक्षा तथा सार्वजनिक जीवनकी भाषाके रूपमें अंग्रेजीका देशके सारे राज्योंमें सामान्यतः अेकसा अुपयोग करते थे। आप यह भी स्वीकार करेंगे कि आज हमारे सामने जो बदली हुअी परिस्थितियां हैं, अुनमें अिस तरहका कोअी सादा हल हमें प्राप्त नहीं है।

अंग्रेजीको अुसके स्थानसे हटाना

सरकारी, सार्वजनिक और सामाजिक कार्योंके सारे अुच्च स्तरों पर अंग्रेजी भाषाने जिस प्रमुख पदका अुपभोग किया और जिसके फलस्वरूप देशमें सब जगह प्रादेशिक भाषाओंका विकास रुका और अुनकी अुपेक्षा हुअी, वह पद स्पष्ट ही देशकी मौजूदा किसी भाषाको नहीं दिया जा सकता, जिसे हम संघके और राज्योंके सरकारी और गैर-सरकारी व्यवहारके लिअे अपना सकें। अंग्रेजी भाषाके हटनेसे जो स्थान खाली हुआ है, अुसका अेक हिस्सा देशकी प्रादेशिक भाषाओंको अपने अपने प्रदेशोंमें लेना चाहिये। लेकिन दूसरे कुछ मामलोंमें संघकी भाषासे अुससे कहीं ज्यादा व्यापक दायरेमें काम करनेकी आशा रखी जा सकती है, जिस दायरेमें अंग्रेजी भाषा काम कर सकती थी या अन्य कोअी विदेशी भाषा काम कर सकती है, जो मुख्यतः विदेशी हुकूमतका और

* यह भाषण ता० २९–१०–'५५ और ५–११–'५५ के 'हरिजनसेवक' में अुद्धृत किया जा चुका है।

www.vinoba.in

(लोकशाहीकी दृष्टिसे) शासनकी गैरजिम्मेदार पद्धतिका ही वाहन होगी।

१९४७ तक हम शासनकी जिस पद्धतिमें रहे और अुसके बाद हमने भारतीय संविधानमें अपने लिअे जो पद्धति निर्माण की, अुन दोनोंमें बुनियादी फर्क है — और यह हकीकत तो याद रखनी ही होगी कि १९४७ के पहले हम पर विदेशी सत्ताका शासन था। ब्रिटिश सरकारका हमारी आम जनतासे दूसरे प्रकारका संबंध था और अेक विदेशी हुकूमतके नाते भारतमें अुसके अुद्देश्यों, हितों और प्रवृत्तियोंका दायरा अुससे कहीं ज्यादा संकुचित था जो आज हम देख रहे हैं।

हमारे संविधानने देशके सारे बालिग स्त्री-पुरुषोंको मतदानका अधिकार दिया है; अिस तरह अुसने आज तकके अितिहासमें देखे गये बड़ेसे बड़े निर्वाचक-मण्डलको जन्म दिया है। संविधानके आदेशों और अुस नीतिके अनुसार, जो हमने घोषित की है, हम लोकतांत्रिक कल्याण-राज्यके सिद्धान्त अपनानेके लिअे बंधे हुअे हैं, जिसमें प्रत्येक नागरिकका दूसरोंके साथ समान हिस्सा होगा। पहलेकी विदेशी और अलोकतांत्रिक सरकारके मातहत भारतीय नागरिककी देशके सरकारी कामकाजमें जितनी आवाज और जिम्मेदारी थी, अुससे आज बहुत ज्यादा बढ़ गअी है। ब्रिटिश सरकारको अिस बातकी परवाह नहीं थी कि अुन दिनोंमें शासनकी भाषा देशकी विशाल आम जनता समझ नहीं पाती थी। लेकिन आज जब देशका प्रत्येक नागरिक हमारे कल्याण-राज्यका लाभ अुठानेवाला है और मतदानके अधिकारका अुपयोग करनेवाला है, यह स्पष्ट है कि सरकारका कामकाज केवल अैसी ही भाषामें चल सकता है, जो राज्यके कामकाजमें प्रत्येक नागरिकके समझदारीसे भाग लेनेको संभव बनाती है।

मैं चाहता हूं कि आप अेक क्षणके लिअे अिस बात पर विचार करें कि १५० वर्षके राज्याश्रयके बावजूद १९५१ की जनगणना यह बताती है कि मैट्रिक या अुसके बराबरीकी शैक्षणिक योग्यता रखनेवाले यानी अंग्रेजी भाषाको कुछ हद तक समझनेवाले माने जा सकें अैसे लोगोंकी संख्या देशकी कुल आबादीमें केवल २१,५६,८५८ थी। यह कुल आबादीका लगभग $\frac{1}{2}$ प्रतिशत हुआ, जब कि साक्षर लोगोंकी औसत संख्या आबादीकी १६.६ प्रतिशत है।

अितने वर्षोंके राज्याश्रयके बाद और लोगों पर अूपरसे लादी जानेके बाद भी अंग्रेजी हमारे समाजके बहुत छोटे हिस्से और सीमित वर्गोंमें ही फैल सकी। अगर हमारी कल्पना यह हो कि देशके शासनमें भारतके सारे मतदाता दिलचस्पी लें, तो यह तभी संभव होगा जब संघके कामकाजके लिअे अपनाअी गअी भारतीय भाषाका अुन्हें ज्ञान हो। देशकी विशालताके कारण और भौगोलिक अनिवार्यताओंके कारण यह निहायत जरूरी है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक आंशिक रूपमें द्विभाषी हो।

संविधानकी व्यवस्थायें

संविधानकी भाषा-संबंधी व्यवस्थाओंमें परिस्थितिकी अिन जरूरतोंको देशके कानूनमें स्थान दिया जा चुका है। संविधानकी ये व्यवस्थायें सख्त नहीं हैं, बल्कि कुछ बुनियादी सिद्धान्तोंके अधीन रहकर अुनमें फेरबदल हो सकता है। अिस तरह संविधान राष्ट्रपतिको यह सत्ता देता है कि वे आज्ञा देकर १५ वर्षकी अवधिके लिअे अंग्रेजीके साथ संघ-भाषाके अुपयोगको अधिकृत बना सकते हैं, जिसके बाद संघकी राजभाषा अंग्रेजीके बदले हिन्दी होगी। संविधान पार्लमेन्टको भी यह सत्ता देता है कि वह कानून बनाकर अूपर बताअी १५ वर्षकी अवधिके बाद भी विशेष प्रयोजनोंके लिअे अंग्रेजीके अुपयोगकी व्यवस्था कर सकती है। संविधान कानून और कानूनी अदालतोंके बारेमें अंग्रेजीसे हिन्दी पर आनेकी कठिनाअीको समझता है, अिसलिअे अिन मामलोंमें १५ वर्षकी अवधिकी बात लागू नहीं होती। अुसमें कहा गया है कि जब तक पार्लमेन्ट कानून द्वारा कोअी अन्य व्यवस्था नहीं करती, तब तक अिनमें अंग्रेजी ही चलेगी। अिसके सिवा, संविधानमें यह व्यवस्था भी है कि किसी राज्यकी धारासभा कानून बनाकर राज्यके सारे प्रयोजनों या किसी अेक प्रयोजनके लिअे राज्यमें अुपयोगमें ली जानेवाली अेक या अधिक भाषाओंको या संघ-भाषा हिन्दीको अपना सकती है। और, धारा ३५१ में कहा गया है कि संघ-भाषा यानी हिन्दी भाषाका अिस तरह विकास किया जायगा कि वह भारतकी मिलीजुली संस्कृतिके सब अंगोंको व्यक्त करनेका साधन बन सके, और संस्कृतके साथ विभिन्न प्रादेशिक भाषाओंमें जो रूप, जो शैलियां और जो मुहावरे अुपयोगमें आते हैं अुनके द्वारा अुसे समृद्ध बनाया जायगा।

अगर मैं अत्यन्त नम्रतासे कह सकूं तो संविधानकी ये व्यवस्थायें अत्यन्त समझदारीभरी हैं, और परिस्थितिकी सारी पेचीदगियोंके लिअे अुचित व्यवस्था करती हैं। अिनमें यह स्वीकार किया गया है कि संघ-भाषा और देशकी दूसरी प्रादेशिक भाषाअें भी आज अितनी विकसित नहीं हैं कि वे तुरन्त सारे प्रयोजनोंके लिअे अंग्रेजीकी जगह ले सकें। संविधान संघ-भाषा, यानी हिन्दी भाषाके विकासके साथ ही अमुक प्रयोजनोंके लिअे अुसके क्रमशः बढ़नेवाले अुपयोगकी व्यवस्था करता है। व्यावहारिक दृष्टि रखकर वह संघके विशेष प्रयोजनोंके लिअे १५ वर्षकी अवधिके बाद भी अंग्रेजीका अुपयोग जारी रखनेकी संभावनाकी व्यवस्था करता है, हालांकि हम यह आशा करें कि अुस अवधिके पहले अैसा हर संभव प्रयत्न किया जायगा, जिससे अिस व्यवस्थाका लाभ न अुठाना पड़े। अिसके सिवा, हिन्दी भाषा अैसी भाषा है जिसे देशकी दूसरी प्रादेशिक भाषाओंमें काममें आनेवाले रूपों, शैलियों और मुहावरोंको पचाकर समृद्ध बनाया जायगा, अर्थात् अुसे सच्ची 'भाषा भारती' बनाया जायगा, ताकि वह भारतकी मिलीजुली संस्कृतिके सारे अंगोंको व्यक्त करनेका साधन बन सके।

बड़ेसे बड़े प्रयत्नकी जरूरत

अिसलिअे मेरा निवेदन है कि संविधानकी व्यवस्थायें विकासकी दिशायें तय करती हैं, जिनमें प्रगति करना पूरी तरह अिस बीच किये जानेवाले हमारे प्रयत्नों पर निर्भर रहेगा। मैं अिस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये प्रयत्न केवल अुनकी ओरसे ही नहीं होने चाहिये जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, बल्कि मेरे और आपके जैसे दूसरे सारे भारतीयोंकी तरफसे भी होने चाहिये जिनकी मातृभाषा हिन्दीके सिवाय दूसरी कोअी महान भारतीय भाषा है, लेकिन फिर भी जिनका अपनी-अपनी भाषाओंके शब्दों और मुहावरोंसे अुस भाषाको समृद्ध बनानेका फर्ज है, जिसे हमने भारतीय संघकी राजभाषाके रूपमें अपनाया है। बेशक, अभी तक हमें तरह-तरहकी अलग-अलग रायें जाननेको मिली हैं, फिर भी अधिकतर लोगोंकी राय यही है कि संविधानकी मौजूदा धाराओंकी सीमामें रहकर अिस कामकी तफसीलें तय की जायं। १५ वर्षकी अवधिके भीतर या अुससे कुछ जल्दी अथवा अुस अवधिके बाद भी हम अपना यह अुद्देश्य सिद्ध कर सकेंगे या नहीं, यह अिस अवधिमें किये जानेवाले हमारे प्रयत्नोंके गुण और सचाअी पर निर्भर करेगा।

(अंग्रेजीसे)

(चालू)

बी० जी० खेर

सच्ची शिक्षा

लेखक : गांधीजी; अनु० रामनारायण चौधरी

कीमत २-८-० डाकखर्च १-०-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

www.vinoba.in

हरिजनसेवक

२८ जनवरी १९५६

धर्मोंके प्रति सरकारकी नीति

मद्रासके 'वेदान्त केसरी' नामक मासिकने अुसमें छपा अेक लेख भेजकर मेरा ध्यान अुसकी ओर खींचा है और कहा है कि मैं चाहूं तो अुसका विवेचन कर सकता हूं। वह लेख २५०० वीं बुद्ध-जयन्तीके अुत्सवके सम्बन्धमें है। पाठक जानते हैं कि हमारी सरकारने अिस वर्ष २३ मअीको बड़े पैमाने पर यह जयन्ती मनानेका निर्णय किया है। अिसमें वह लगभग १ करोड़ रुपये खर्च करनेवाली है। अुस अवसर पर डाक-विभाग विशेष टिकट छपवायेगा। ता० २३-५-'५६ के दिन भारतकी सारी राजधानियोंमें सरकारकी ओरसे सभाओंका आयोजन किया जायगा। बौद्ध 'त्रिपिटक' ग्रन्थ नागरीमें प्रकाशित होंगे। बौद्ध धर्म, अुसके अितिहास, कला आदि पर ग्रन्थ तथा चित्र-पुस्तकें प्रकाशित की जायंगी और सिनेमा फिल्म वगैरा तैयार किये जायंगे। नवम्बर महीनेमें अेक भारी विश्व-सम्मेलनका आयोजन किया जायगा, जिसमें बुद्धके शान्ति-सन्देशका विवेचन किया जायगा। अैसा अेक बड़ा कार्यक्रम रखनेकी बात सोची गअी है।

अिस समारंभमें जगत्के बौद्ध राष्ट्र और बौद्ध धर्मी भाग लेंगे। संक्षेपमें कहें तो अिस निमित्तसे जगत्में और खास तौर पर भारतमें बुद्ध भगवानके धर्मोपदेशको सतेज किया जायगा।

अिसमें भारत सरकार अग्रगण्य भाग लेगी और लाखों रुपये खर्च करेगी। अिस पर 'वेदान्त केसरी' का लेखक यह प्रश्न पूछता है कि सब धर्मोंके प्रति समभाव या तटस्थताके नियमका पालन करनेवाली हमारी 'सेक्युलर' सरकार अकेले बौद्ध धर्मके प्रति अैसा पक्षपात दिखाये तो अुसे क्या कहा जायगा?

यह प्रश्न विचार करने जैसा है। भारतकी 'सेक्युलर' या गैरमजहबी राज्य-नीतिका अर्थ सर्व-धर्म-समभावकी दृष्टिमें निहित है। अुसमें धर्मका अिनकार या धर्मके प्रति अश्रद्धाका भाव नहीं है। बौद्ध धर्म भारतमें नहीं-जैसा ही है, यद्यपि अुसका अुदय हमारे ही देशमें हुआ था। अुसके तीर्थस्थान भी हमारे ही देशमें हैं। यह धर्म आज भारतके बाहर अेशियामें बहुत फैला हुआ है। अैसा होते हुअे भी हिन्दू धर्मने अपने भीतर अुसका समावेश किया है और भगवान बुद्धको हिन्दू धर्मका अेक अवतार माना है। परन्तु सामान्य हिन्दू अिस विषयमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते। अिस समारंभके निमित्तसे यह ज्ञान देशमें फैले और अिसके द्वारा दुनियाके बौद्ध राष्ट्रोंके प्रति भारतकी ओरसे अेक मित्रतापूर्ण कार्य हो, यह सर्वथा अुचित ही है।

अेक बात रह जाती है। अीसाअी और मुस्लिम धर्मोंकी तरह बौद्ध धर्म भी व्यक्ति-विशेष, ग्रन्थ-विशेष और धर्मान्तर करनेवाला है। आज डॉ० आंबेडकरकी रहनुमाअीसे कुछ वर्गोंके लोग बौद्ध बननेकी अिच्छा रखते हैं। सरकारका यह कदम यदि अिस प्रवृत्तिको किसी तरह पुष्ट करे—अुसकी मदद करे, तो सरकारी नीतिमें अिस बातकी सावधानी रखनी होगी।

भारतमें हम बौद्ध धर्मके अुपदेशको समझें अिसमें कोअी आपत्ति नहीं है, बल्कि यह अच्छी बात है। दुनियाके सारे धर्मोंके प्रवर्तकों या महापुरुषोंका अुपदेश हमें समझना चाहिये। हिन्दू धर्मकी प्रणाली अिस चीजको पसन्द करती है। परन्तु धर्मान्तरमें केवल अितनी ही बात नहीं आती; अुसमें समाजान्तर भी होता है। आज धर्मान्तर अेक सामाजिक और राजनीतिक हलचलका रूप ले लेता है। भारतकी महाबोधि सोसायटी तथा श्री आंबेडकर जैसे लोग—जो हिन्दू धर्मके रहस्यको समझे बिना अुसके प्रति घृणा और वैरभाव रखते हैं तथा अुसे बढ़ाते हैं—यदि २५०० वीं बुद्ध-जयन्तीके सरकारी समारंभका लाभ बौद्ध समाजान्तर करनेमें अुठायें, तो वह अिस कदमका दुरुपयोग किया माना जायगा।

भारतमें हमने अेक बातकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है। वह यह कि जगत्में यदि शान्ति और सच्चे धर्मोदयकी स्थापना करनी हो, तो धर्मान्तरको भी हमें नअी दृष्टिसे देखना सीखना चाहिये। गांधीजीने हमारी जनताको जो बुनियादी बातें बताअी हैं, अुनमें अेक यह भी है। आज हम अेक राष्ट्रके नाते नअी विदेश-नीतिका निर्माण कर रहे हैं। अुसी तरह नयी अर्थनीतिकी रचनाका काम भी शुरू हो चुका है। और अुसी प्रकार जाने-अनजाने नअी धर्मदृष्टिका भी हम विकास कर रहे हैं। गांधीयुगकी अिस क्रान्तिके अनेक अंशोंमें धर्मदृष्टिका बहुत बड़ा अंश है। अिस अंशको अधिक समझनेकी जरूरत है।

कुछ लोग अिसमें प्राचीन आर्यधर्म और 'भारतीय' संस्कृतिका जीर्णोद्धार समझते हैं। लेकिन यह भूल है। गांधीजीकी धर्म-दृष्टि अैसी नहीं है। अुनकी दृष्टि तो अर्वाचीन युग जितनी नवीन और विज्ञानशुद्ध तथा प्राचीन युग जितनी सनातन और स्थिर है। दुनियाके दूसरे धर्मोंका जो रक्त-रंजित अितिहास है, अुसकी जड़में रही गलतीको भी गांधीजीकी यह दृष्टि सुधारना चाहती है।

अिस दृष्टिको अुन्होंने सर्व-धर्म-समभाव कहा है। अुसके अनुसार भारतकी हिन्दू जनताकी यह समझना चाहिये कि वह हिन्दू है अिसका अर्थ यह कि अुसके अुत्तम अंशमें वह अीसाअी, अिस्लामी, सिक्ख, बौद्ध वगैरा भी है ही। गांधीजी अैसे अुदार और सर्व-शुभग्राही हिन्दू थे और सब धर्मोंके लोग खुशीसे अुन्हें अपने ही आदर्श सहधर्मी मानते थे। परन्तु अुनमें से कुछ लोगोंके मनमें अिस बातका दुःख रहता था कि गांधीजी अुनकी साम्प्रदायिक दीक्षा नहीं लेते! हिन्दू धर्म अैसा धर्मान्तर करनेमें विश्वास नहीं रखता। यह अुसकी विशेषता है। अिसका अर्थ गांधीजीने यह बताया कि वास्तवमें किसीको अपना धर्म बदलनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग अपने-अपने धर्मका पालन करनेका प्रयत्न करें तो वे सब अेक ही अीश्वरकी शरणमें जायंगे। हमारे राष्ट्रकी धर्मभावना अितनी अुदार है। और अिस अर्थमें हमारा राज्य 'सेक्युलर' हो तो हो सकता है। यह भावना रखकर हमारी सरकार चले, तो ही वह सच्चे अर्थमें 'सेक्युलर' बनेगी। 'सेक्यु-लर' का अर्थ न तो किसी खास साम्प्रदायिक धर्मका होता, न 'नास्तिक' होता। क्योंकि नास्तिकताने भी आजके वैज्ञानिक युगमें अेक सम्प्रदायका रूप ले लिया है!

४-१-'५६
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

अहिंसक समाजवादकी ओर

लेखक: गांधीजी; संपा० भारतन् कुमारप्पा

कीमत २-०-० डाकखर्च ०-१२-०

सर्वोदय

लेखक: गांधीजी; संपा० भारतन् कुमारप्पा

कीमत २-८-० डाकखर्च ०-१२-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

www.vinoba.in

स्कूलोंमें भाषाओंका अध्ययन

कहा जाता है कि माध्यमिक शिक्षणकी अखिल भारतीय कौंसिलने अेकमतसे यह निर्णय किया है कि माध्यमिक स्कूलोंके सारे विद्यार्थियोंको नीचेके सूत्रके अनुसार तीन भाषाओंका अध्ययन करना होगा:

"(१) (क) मातृभाषा या (ख) प्रादेशिक भाषा या (ग) मातृभाषा और प्राचीन भाषाका मिलाजुला अभ्यासक्रम या (घ) मातृभाषा और प्रादेशिक भाषाका मिलाजुला अभ्यासक्रम; (२) हिन्दी या अंग्रेजी; (३) विभाग (१) या (२) के मातहत ली गअी भाषाके सिवाय दूसरी कोअी आधुनिक भाषा।"

अिस सूत्रका विभिन्न दृष्टिकोणोंसे अध्ययन किया जा सकता है। पहले, माध्यमिक स्कूल क्या हैं? मौजूदा रचनामें वे अपना काम ४ या ५ सालके प्राथमिक शिक्षणके बाद शुरू करते हैं और ७ साल तक यानी माध्यमिक शालान्त परीक्षा (मैट्रिक) तक अुसे जारी रखते हैं। क्या अूपरके सूत्रका यह अर्थ है कि स्कूली शिक्षणके छठे सालमें बालक ३ भाषायें सीखना शुरू करेगा, जिनमें से अेक अखिल भारतीय सर्वसामान्य भाषा हिन्दीको छोड़कर अंग्रेजी हो सकती है? और तीसरी भाषा कब — स्कूली शिक्षणके किस सालमें शुरू होगी? यह भी स्पष्ट नहीं है कि माध्यमिक स्कूल अनिवार्य प्राथमिक शिक्षणकी अवस्थाके बादका स्कूल होगा, यानी बालकके स्कूली शिक्षणके ८ वें सालसे पढ़ानेवाला स्कूल होगा।

हिन्दी-भाषी प्रदेशोंके दृष्टिकोणसे देखने पर अिस सूत्रमें नीचेकी भाषाओंका अध्ययन शामिल करनेकी अपेक्षा रखी जा सकती है: (१) हिन्दी, (२) अंग्रेजी और (३) बंगाली, मराठी, तामिल, तेलगु या गुजराती वगैरा जैसी दूसरी भारतीय आधुनिक भाषायें।

अगर हम अिस सूत्रको अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंकी दृष्टिसे जांचें तो अुसका अर्थ हिन्दीको भी छोड़ देनेका हो सकता है! यह बेशक अिस सूत्रका दूसरा बुनियादी दोष है।

अिस प्रश्नकी अधिक चर्चा किये बिना हम नीचे कुछ अैसे बुनियादी विचार रख सकते हैं, जिनसे हमारे स्कूलोंमें भाषाओंके अध्ययनके लिअे की जानेवाली नअी रचनाके किसी सूत्रको अनुप्राणित होना चाहिये:

१. यह बता दिया जाना चाहिये कि संविधानके आदेशानुसार (धारा ४५) माध्यमिक अवस्था प्राथमिक शिक्षणकी अनिवार्य अवधिके बाद शुरू होगी — अर्थात् स्कूली शिक्षणके ७ या ८ साल बाद।

२. अिन ७ या ८ सालोंके लिअे भाषा-शिक्षण संबंधी सूत्र अिस प्रकार होगा: (क) पहले ४ या ५ सालोंमें केवल अेक भाषा रहेगी — मातृभाषा और/या प्रादेशिक भाषा; और (ख) अगले तीन सालोंमें सर्वसामान्य अखिल भारतीय हिन्दी भाषा जोड़ी जायगी, जिसे अनिवार्य रूपसे सीखना होगा।

अर्थात्, भारतका हर बालक ७ से १४ सालकी अुम्रके बीच प्राथमिक शिक्षाके ७ या ८ सालोंमें अपनी प्रादेशिक भाषाका अध्ययन करेगा और अुनमें से आखिरी तीन सालोंमें हिन्दीका अध्ययन करेगा। अिसमें अेक शर्त यह होगी कि हिन्दी-भाषी प्रदेशोंके बालक अुपरोक्त २ (ख) के मातहत अनिवार्य अध्ययनके लिअे हिन्दीके सिवाय दूसरी कोअी भारतीय भाषा लेंगे। अिसमें दक्षिण भारतकी किसी भाषाको तरजीह दी जा सकती है।

३. अूपरके दो मुद्दे यह बताते हैं कि लोअर सेंकडरी या मिडिल स्कूलों (आज वे अिसी नामसे पुकारी जाती हैं) में दो भाषायें रहेंगी, तीन नहीं; और अिन दो भाषाओंमें से अंग्रेजी सामान्यतः केवल अुन विद्यार्थियोंके लिअे रहेगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी होगी, दूसरे विद्यार्थियोंके लिअे नहीं।

४. अपर सेंकडरी या वास्तवमें माध्यमिक स्कूलोंमें १४ सालकी अुम्रमें अथवा संविधानके अनुसार मुफ्त और अनिवार्य पाठ्यक्रम पूरा होनेके बादके स्कूली शिक्षणके पहले सालमें अेक तीसरी भाषा शुरू होगी।

५. यह तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी। विकल्पसे दूसरी कोअी आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा भी हो सकती है, हालांकि अुच्च शिक्षणके लिअे अुसकी मौजूदा आवश्यकता और महत्त्वको देखते हुअे आम तौर पर अंग्रेजी ही ज्यादा पसन्द की जायगी।

अिस तरह माध्यमिक स्कूलोंके लिअे भाषा-शिक्षणका ज्यादा अच्छा सूत्र यह होगा: (१) मातृभाषा और/या प्रादेशिक भाषा; (२) अखिल भारतीय सर्वसामान्य भाषा हिन्दी, अिस शर्तके अधीन कि जो विद्यार्थी (१) के मातहत हिन्दी लें वे संविधानकी आठवीं सूचीमें बताअी गअी भाषाओंमें से दूसरी कोअी भाषा लेंगे; और (३) अुत्तर बुनियादी अवस्थामें या अनिवार्य शिक्षणकी अवस्थाके बाद अंग्रेजी।

अिस योजनाके मातहत कोअी विद्यार्थी ११ साल तक अपनी प्रादेशिक भाषा, ७ साल तक हिन्दी (अहिन्दी प्रदेशोंके लिअे), और ४ साल तक अंग्रेजी सीखेगा।

आखिरी ३ या ४ सालोंमें प्रादेशिक भाषाके पाठ्यक्रमके साथ संस्कृत या दूसरी किसी प्राचीन भाषाका पाठ्यक्रम जोड़ा जा सकता है। अर्थात् प्रादेशिक भाषाके अध्ययनके समयमें से थोड़ा समय संस्कृत या दूसरी प्राचीन भाषाके अध्ययनके लिअे दिया जाय।

अब चूंकि हमारे देशमें लगभग भाषावार राज्य बनेंगे, अिसलिअे हरअेक राज्यके लिअे यह आवश्यक और कर्तव्यरूप होगा कि वह अपने स्कूलों और कॉलेजोंमें पढ़नेवाले सारे विद्यार्थियोंको स्कूली शिक्षणके पांचवें सालसे अनिवार्य रूपमें अखिल भारतीय आन्तर-भाषा हिन्दी सिखानेका काम हाथमें ले। केन्द्रको संविधानकी धारा ३५१ के अनुसार, जो अुसे 'हिन्दीके फैलावको बढ़ाने' का आदेश देती है, कर्तव्यके रूपमें अिस चीजका ध्यान रखना चाहिये। बेशक, संविधान द्वारा बताये गये अुपरोक्त कर्तव्यका पालन करनेके लिअे यह अेक सबसे अुचित और अनिवार्य मार्ग होगा। केन्द्र यह मार्ग तभी ले सकता है जब वह प्रत्येक भाषावाले प्रदेशको अिस बातका आश्वासन दे दे कि वह प्रदेश अपने राज्यके भीतर शासन, शिक्षण, कानून-निर्माण, न्याय वगैरा सारे प्रयोजनोंके लिअे बिना किसी रुकावटके स्वतंत्रतासे प्रादेशिक भाषाका अुपयोग कर सकता है। संविधान हरअेक भाषा-प्रदेशको स्वतंत्रतासे यह निर्णय करनेका अधिकार देता है। हिन्दीका स्थान आन्तर-राज्य और अखिल भारतीय प्रयोजनोंके लिअे है और होना चाहिये। अिसीलिअे हिन्दी किसी राज्य द्वारा भारतकी अेकताको स्वीकार करने तथा अपने स्कूलों और कॉलेजोंमें हिन्दीका अनिवार्य शिक्षण दाखिल करके अुस पर अमल करनेकी सच्ची लगनकी निशानीका और प्रत्यक्ष कसौटीका रूप ले लेती है। अैसा समान कदम अब अखिल भारतीय आधार पर अुठाने लगना चाहिये। भारतके नये शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकासकी बुनियादी योजनाके लिअे अैसा होना निहायत जरूरी है।

१३-१-'५६ **मगनभाई देसाई**

(अंग्रेजीसे)

शिक्षाकी समस्या

लेखक: **गांधीजी; अनु० रामनारायण चौधरी**

कीमत ३-०-० डाकखर्च १-२-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

www.vinoba.in

गुड़ और खांड़सारीका अुद्योग

भारतके खेती पर आधारित अुद्योगोंमें यह सबसे महत्त्वपूर्ण अुद्योग है। खेती और पशुपालनके बाद अिसीका नम्बर आता है। और यह गांवके स्त्री-पुरुषोंको तथा बैलों और बैलगाड़ियोंको सालमें चारसे पांच महीनेका काम देता है। अिसके सिवा, देशमें अुत्पन्न होनेवाले ४७ लाख टन गन्नेमें से ६० प्रतिशत अिस अुद्योगमें काम आता है, जिससे ३२ लाख टन गुड़ पैदा होता है। अिस तरह वह देशकी मिठास सम्बन्धी जरूरतोंका बहुत बड़ा भाग पूरा करता है। अिसके अलावा, गुड़ भावमें शक्करसे सस्ता होनेके कारण गांवों और शहरोंके गरीब और मध्यम वर्गकी जरूरतें पूरी करता है। और अुसकी खपतके लिअे बाजार भी तैयार है। फिर यह अुद्योग अधिकतर विकेन्द्रित पद्धतिसे चलता है, अिसलिअे अुसके विकाससे आजके शक्कर अुद्योगको कोअी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर अिस अुद्योगके निरन्तर विकासके अनुकूल नीति अपनाअी जाय और ग्राहकोंको गुड़के पोषक तत्त्वोंकी जानकारी कराकर अुसके अुपयोगके लिअे तैयार किया जाय, तो अुसके विकाससे वह बड़ा बोझ दूर हो जायगा, जो आज शक्करके आयातसे देशके अर्थतंत्र पर पड़ रहा है। अिससे गांवोंका अर्थतंत्र भी सब तरहसे अधिक मजबूत बनेगा।

गन्नेके अुत्पादकके नाते भारतका संसारमें दूसरा नम्बर है। वह ग्रामीण अर्थतंत्रका महत्त्वपूर्ण भाग है। १९५१ की जन-गणनाके मुताबिक देशमें ५.१९ लाख कोल्हू चलते हैं, तथा अिस अुद्योगमें १० लाख आदमियों और ५ लाख बैलोंको काम देनेकी शक्ति है। फिर भी, कार्यक्षम साधनोंके अभावके कारण, अुत्पादनकी पुरानी पद्धतियोंके कारण और मालके संग्रह तथा बिक्रीकी अपर्याप्त व्यवस्थाके कारण अिस अुद्योगकी तथा अिसमें काम करने-वाले लोगोंकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। अिस समय गन्नेसे ५० से ५५ प्रतिशत तक ही रस निकाला जा सकता है, तथा तैयार होनेवाले गुड़की जाति भी घटिया होती है। अैसा अन्दाज है कि संग्रह और बिक्रीकी पूरी सुविधाओंके अभावमें अिस अुद्योगको सालाना लगभग ६० करोड़ रुपयेका घाटा अुठाना पड़ता है।

खांड़सारीका अुद्योग कोअी स्वतंत्र अुद्योग नहीं है। वह गुड़-अुद्योगका ही अेक भाग है। खांड़सारीके अुत्पादनमें गुड़से कुछ ज्यादा प्रक्रियाअें करनी होती हैं।

अिस समय हमारे देशमें प्रति मनुष्य १३ सेर (पक्का) मिठासका अुपयोग होता है। अिसमें से ८ सेर गुड़से मिलती है और ५ सेर शक्करके बड़े कारखानोंसे मिलती है। शक्कर विकास समितिके अंदाजके मुताबिक १९५४-५५ में शक्करकी मांग १५ लाख टन थी। यह मांग १९६०-६१ में बढ़कर २२.५ लाख टन हो जायगी। आज शक्करके बड़े पैमानेके १६० कारखाने पूरी ताकतसे काम करें तो भी वे १६ लाख टन शक्कर ही बना सकते हैं। अिसलिअे ७.५ लाख टनकी जो अतिरिक्त मांग है, अुसे बड़े कारखाने खड़े करके पूरा करनेके बदले खांड़सारी बना कर पूरा करना चाहिये। अैसा होने पर शक्करके बड़े कारखाने खड़े करनेकी कोअी जरूरत नहीं रह जायगी।

परन्तु अैसा करनेके लिअे १९५४-५५ के लिअे अुत्पादनका जो विभाजन किया गया है — शक्कर १५ लाख टन, खांड़सारी १ लाख टन और गुड़ ३१ लाख टन — अुसमें परिवर्तन करके नये सिरेसे विभाजन किया जाना चाहिये। अिस अुद्योगके अुत्पा-दनका नीचे लिखा सामान्य कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये : शक्कर १५.५ लाख, खांड़सारी ७.५ लाख और गुड़ ३१ लाख टन।

अिस कार्यक्रम पर अमल करनेके लिअे निम्नलिखित नीति अपनानी होगी :

(१) शक्करका आयात बन्द कर दिया जाय।

(२) मौजूदा मिलोंकी अुत्पादन शक्ति बढ़ाने या नअी मिलें खोलनेकी मनाही कर दी जाय।

(३) शक्करकी अतिरिक्त मांग ग्रामोद्योग द्वारा पूरी की जाय।

(४) पेरनेके लिअे जो अतिरिक्त गन्ना मिले, अुसे ग्रामो-द्योगके लिअे सुरक्षित रखा जाय।

(५) गुड़ और गुड़के चूरेका अैसे देशोंमें मुक्त निर्यात करने दिया जाय, जहां भारतीयोंकी अधिक आबादी हो, और नये बाजारोंकी खोज की जाय।

अिस नीतिके अनुसार गुड़-अुद्योगके लिअे नीचेका विकास कार्यक्रम सूचित किया गया है :

(१) गन्ना पैदा करनेवाले राज्योंमें ४१ अुत्पादन केन्द्र खोले जायं।

(२) २१५ सहकारी समितियां कायम की जायं, जो सुधरे हुअे साधन मुहैया करें तथा गुड़ और अुसकी बनी हुअी अन्य वस्तुओंकी बिक्री और संग्रहमें मदद पहुंचायें।

(३) गन्ना अुत्पन्न करनेवाले राज्योंमें सुधरे हुअे औजार तैयार किये जायं।

(४) अिस अुद्योगके लिअे तालीम देकर जरूरी कार्यकर्ता तैयार किये जायं।

(५) देशमें गुड़के संग्रह और बिक्रीकी पूरी सुविधायें पैदा की जायें।

अिस कार्यक्रमके मुताबिक गुड़-अुद्योगमें १,५८,००० नये कोल्हू शुरू करनेका सुझाव रखा गया है। अुनके जरिये ६५ से ६८ प्रतिशत गन्नेका रस निकाला जा सकेगा। अिसके सिवा, अुद्योगकी विविध प्रक्रियाओंके लिअे सुधरे हुअे साधन — जैसे भट्टी, चलनी, कड़ाही वगैरा — भी बांटे जायंगे। गुड़का रंग और दिखाव सुधारनेके लिअे अुसे साफ करनेके लिअे कार्बन जैसे कुछ पदार्थ भी बांटे जायंगे। अिसी तरह खांड़सारी अुद्योगमें भी ७.५ लाख टनका अुत्पादन करनेके लिअे हजारोंकी संख्यामें अलग अलग साधन बांटनेका सुझाव रखा गया है।

अिन साधनोंके लिअे कुल १६.०३ करोड़ रुपयेकी पूंजी लगेगी। फिर, अिस अुद्योगमें काम करनेवालोंकी आर्थिक स्थिति बुरी होनेके कारण साधन प्राप्त करनेके लिअे अुन्हें कर्ज और राहत दी जायगी। कर्ज और राहतका अनुपात ५०–५० प्रतिशत रखनेकी बात सुझाअी गअी है।

अिस कार्यक्रमके फलस्वरूप अंतिम वर्षमें गुड़का अुत्पादन बढ़-कर २०.९ लाख टन हो जायगा, जिसकी कीमत ५८.५५ करोड़ रुपये होगी। ५२.५ करोड़ रुपयेकी ७.५ लाख टन खांड़सारी तथा ७.८३ करोड़ रुपयेका ५.५९ लाख खाद्य सिरका भी तैयार होगा। अिसके फलस्वरूप गुड़ बनानेमें ६.३२ लाख, खांड़सारी बनानेमें १ लाख तथा माल ढोने और अन्य कामोंमें ५३,००० आदमियोंको रोजी मिलेगी। तथा अुनके बीच २४.८६ करोड़ रुपये मजदूरीके रूपमें बंटेंगे। साथ ही अिस अुद्योगकी तालीम देनेके लिअे कार्यकर्ता भी तैयार किये जायंगे।

अिस समूचे कार्यक्रममें ८.७८ करोड़ कर्ज, ८.७६ करोड़ राहत और १.५४ करोड़ व्यवस्था-तंत्रके लिअे — अिस तरह कुल १९.४४ करोड़ रुपये खर्च होंगे। अिससे भारतके अेक खेती पर आधारित अुद्योगको नया जीवन मिलेगा और विदेशोंसे मंगानी पड़ती महंगी शक्करकी जरूरत भी नहीं रह जायगी। देशके लगभग ८ लाख आदमियोंमें रोजी और आमदनीका विशाल पैमाने पर बंटवारा होगा तथा गांवोंके अर्थतंत्रके आवश्यक अंग बैलों और बैलगाड़ियोंको भी काम मिलेगा।

(गुजरातीसे) वि०

www.vinoba.in

अुत्पादन बनाम कामधंधा

'रिजर्व बैंक ऑफ अिंडिया बुलेटिन' के दिसम्बर १९५५ के अंकमें छपे अेक लेखमें रिजर्व बैंक ऑफ अिंडियाके आर्थिक सलाहकार डॉ० वी० के० मदन कहते हैं कि कर्वे-कमेटीकी सिफारिशें संभवतः 'काफी तेज गतिसे प्रगतिशील आर्थिक विकास' की दिशामें हमें नहीं ले जायंगी। अुनकी यह निश्चित राय है कि हर प्रकारके अुद्योगमें यंत्र-संबंधी अतिरिक्त बेकारीको टालने पर कर्वे-कमेटीने जो जोर दिया है अुसके कारण तथा अुसके फलस्वरूप अेक ओर रोजगारी पर बुरा असर न डालनेवाले छोटे पैमानेके अुद्योगों और ग्रामोद्योगोंमें अुत्पादनकी सुधरी हुअी पद्धतियोंके दाखिल करने पर लगाअी जानेवाली पाबन्दी तथा दूसरी ओर रोजाना अुपयोगकी चीजें पैदा करनेवाले बड़े पैमानेके अधिक कार्यक्षम अुद्योगोंके विस्तार और अधिक अुत्पादन पर लगाये जानेवाले प्रतिबंधके कारण संभवतः अनिश्चित काल तक पिछड़ी हुअी अुत्पादन पद्धत्तियां चालू रहेंगी, काम-धंधेके लिअे लोग अेक जगहसे दूसरी जगह नहीं जायंगे, अुत्पादनका स्तर नीचा रहेगा, राहतके कामधंधेकी प्रधानता रहेगी तथा आमदनी और जीवन-मान नीचे बने रहेंगे। चूंकि अुनकी रायमें कर्वे-कमेटीका यह जोर अुत्पादन पद्धतिमें सुधार करनेके बजाय हर अुद्योगमें कामधंधा बढ़ानेको या बेकारी टालनेको ज्यादा महत्त्व देता है, अिसलिअे अुन्हें डर है कि कुल मिलाकर कामधंधेका भी आकार काफी नहीं बढ़ सकेगा या वह कामधंधेके लिअे लोगोंके अेक जगहसे दूसरी जगह जानेकी बातको ज्यादा आसान नहीं बना सकेगा।

२. अुनकी रायमें कमेटीने ग्रामोद्योगों और छोटे पैमानेके अुद्योगोंकी अुत्पादन क्षमताका जो अन्दाज लगाया है, वह बड़े अुद्योगोंके अुत्पादनकी वृद्धि पर लगाये जानेवाले प्रतिबंधों और अुनके विस्तारकी बांधी जानेवाली मर्यादाओंको अुचित नहीं ठहराता; अिसके फलस्वरूप निकट भविष्यमें ही अुत्पादन गिरनेका खतरा पैदा होगा। अिसके सिवा, अैसी नीति घरेलू बाजारको रोजाना अुपयोगके विशाल पैमाने पर पैदा होनेवाले विविध प्रकारके अधिक अच्छे मालसे वंचित रखनेके साथ-साथ अुत्पादकोंके लिअे माल पैदा करनेवाले अुद्योगोंमें पूंजी लगानेकी अहितकारी परिस्थितिको जन्म दे सकती है, जिनके मालके लिअे घरेलू बाजार न भी मिले। डॉ० मदनको अिस बातका डर है कि कमेटीकी सिफारिशोंसे अुत्पादनका जो स्वरूप बनेगा, संभव है अुसका मेल आयकी वृद्धिके कारण जन्म लेनेवाले चीजोंके अुपभोगके स्वरूपके साथ न बैठे और देशकी विदेशी विनिमय कमानेकी क्षमता पर भी अुसका बुरा असर पड़े। संक्षेपमें, प्रत्येक अुद्योगमें यंत्र-संबंधी बेकारीको टालनेका कर्वे-कमेटीका आग्रह और अिसलिअे प्रत्येक अुद्योगमें अुत्पादनकी सुधरी हुअी पद्धतियां अपनानेकी बातको मुलतवी रखने पर अुसका जोर विचारोंकी गड़बड़ीको बताता है; वह सुधरी हुअी अुत्पादन पद्धतियां अपनानेमें रुकावट डालेगा और देशकी अर्थ-व्यवस्थाको न केवल अुत्पादनके नीचे स्तरोंसे बल्कि कामधंधे और आयके नीचे स्तरोंसे भी काम चलानेके लिअे मजबूर करेगा।

क्रमिक विकास

३. ग्रामोद्योगों और छोटे पैमानेके अुद्योगोंमें काम करनेवाले बहुत बड़ी संख्याके कारीगरोंकी आर्थिक स्थितिमें दिनोंदिन ज्यादा सुधार होना अुन्नत अुत्पादन पद्धतियोंको अपनानेकी अत्यन्त आवश्यक शर्त है। लेकिन ये पद्धतियां जानबूझकर अिस ढंगसे अपनाअी जानी चाहिये कि अुनका मेल समाज द्वारा स्वीकार किये हुअे मूल्योंके साथ बैठ सके, यानी वे समाजवादी ढंगकी समाज-रचनाके विरुद्ध नहीं जानी चाहिये। अेक ओर ग्रामोद्योगों और छोटे पैमानेके अुद्योगोंमें अुत्पादनका प्रयत्न बढ़ानेके लिअे आर्थिक और दूसरी सहायताओंके जरिये कामकी बुनियादी हालतें अुत्पन्न की जायं और दूसरी ओर अुसी तरहका रोजाना अुपयोगका माल पैदा करनेवाले बड़े पैमानेके अुद्योगों पर अुचित प्रतिबंध लगा कर ग्रामोद्योगों और छोटे पैमानेके अुद्योगोंके मालके लिअे अल्पतम बचतको निश्चित बनानेवाले भावों पर बाजारकी गारंटी दी जाय, तो ही अुन्नत अुत्पादन पद्धतियां अपनानेके साधन और प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। अिस स्वरूपका स्थायी विकास ही आयमें प्रगतिशील वृद्धिको और विविध प्रकारके अुत्पादक प्रयत्नके आधारको निश्चित बना सकता है। यद्यपि निकट भविष्यमें अुत्पादन या कामधंधेमें कोअी महत्त्वपूर्ण विविधता न पैदा हो सकेगी और अिसके फलस्वरूप लोग विविध प्रकारके कामधंधोंके लिअे अेक जगहसे दूसरी जगह न जायंगे, फिर भी कुछ समय तक अर्थ-रचनाके अेक अविभाज्य अंगके रूपमें ग्रामोद्योगों और छोटे पैमानेके अुद्योगोंका विकास होने पर अैसी परिस्थितियां अुत्पन्न हो सकेंगी, और निश्चित रूपसे अुत्पन्न होंगी, जिनमें अूपर बताअी प्रत्येक जरूरत पूरी की जा सकेगी।

४. जानबूझकर योजनाबद्ध रूपमें विकसित किया हुआ विकेन्द्रित अुत्पादक प्रयत्न वह समय देता है, जो विविध प्रकारकी कुशलतायें प्राप्त करनेके लिअे तथा मौजूदा कामधंधोंके क्षेत्रोंमें परिवर्तन करनेके लिअे अनिवार्य है। अधिकाधिक मात्रामें अुन्नत अुत्पादन पद्धतियोंको अपनाकर अुत्पादक प्रयत्नका विविध क्षेत्रोंमें विस्तार किया जाय, तो अुससे कुल मिलाकर तीसरे दर्जेकी नौकरियोंके लिअे अुतने ही बड़े पैमाने पर मांग पैदा हो सकती है, जितने बड़े पैमाने पर बड़े अुद्योगोंके कामोंमें होती है; साथ ही अिससे मौजूदा औद्योगिक केन्द्रोंकी तरह अेक जगह लोग अत्यधिक संख्यामें अिकट्ठे भी नहीं होंगे।

अुत्पादन और कामधंधा

५. डॉ० मदनका यह मत कि हमारे देशकी अर्थरचनामें बड़े पैमानेके और छोटे पैमानेके अुद्योगोंके साथ-साथ काम करनेकी गुंजाअिश है और दोनों तरहके अुद्योगोंकी यह साथ-साथ चलनेवाली प्रवृत्ति दोनोंके बीच स्वस्थ और परस्पर लाभदायक होड़की भावना पैदा करके ग्रामोद्योगों और छोटे पैमानेके अुद्योगों द्वारा अुन्नत अुत्पादन पद्धतियां अपनाये जानेकी क्रियाको आसान बनायेगी, मुद्देकी बात चूक जाता है। होड़ स्वस्थ और परस्पर लाभदायक तभी हो सकती है, जब यह बराबरीके अुद्योगोंके बीच हो; और यह दावा तो कोअी कर ही नहीं सकता कि बड़े पैमानेके अुद्योग और ग्रामोद्योग व छोटे पैमानेके अुद्योग किसी भी अर्थमें बराबरीके हैं। कर्वे-कमेटी और अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डकी अुचित दलील यही थी कि अिन दोनों क्षेत्रोंके अुद्योगोंके बीचकी होड़ दूर की जाय और कुल आवश्यक अुत्पादनमें दोनोंको विशेष हिस्से सौंपकर अुनके लिअे अेक अखण्ड नीति बनाअी जाय। दोनोंने अपनी अपनी योजनामें अुत्पादनके क्षेत्रोंका अिस तरह बंटवारा किया है कि ग्रामोद्योगों और छोटे पैमानेके अुद्योगोंको रोजाना अुपयोगकी अतिरिक्त जरूरतें अुत्पन्न करनेकी ही जिम्मेदारी सौंपी जाय और घरेलू अुपयोग तथा निर्यातकी चीजोंकी बहुत बड़ी मात्राका अुत्पादन यांत्रिक दृष्टिसे कार्यक्षम बड़े पैमानेके अुद्योगोंके लिअे छोड़ दिया जाय। हरअेक क्षेत्रके लिअे निर्धारित की गअी जिम्मेदारीका प्रमाण मालकी मांगमें होनेवाली संभवनीय वृद्धि और विकेन्द्रित क्षेत्रके अुद्योगोंकी अुत्पादन क्षमताके सावधानीसे किये हुअे विश्लेषण पर आधार रखता है। हरअेक अलग अुद्योगके लिअे कर्वे-कमेटीने अुत्पादन पद्धतिमें विशिष्ट सुधारकी व्यवस्था की है, जो अुसके अुद्देश्यकी मर्यादामें रहकर किया जा सकता है। अिसलिअे यह

www.vinoba.in

दलील करना गलत है कि अुत्पादन और अुसकी पद्धतियोंमें सुधारके बनिस्बत लोगोंको रोजी देनेकी बातको कर्वे-कमेटीकी सिफारिशोंमें अधिक महत्त्व दिया गया है।

काफी प्ररणाकी गुंजाअिश

६. डॉ० मदनका खयाल है कि बड़े अुद्योगोंके विस्तार पर लगाये गये प्रतिबंध कारखानोंको आधुनिक ढंगके बनाने तथा टेकनिकल कार्यक्षमता बनाये रखनेकी प्रेरणा देनेवाले साबित नहीं हो सकते। देशके प्रमुख अुद्योग यानी कपड़ा-अुद्योगके बड़े पैमानेके क्षेत्रको अुत्पादनका जो हिस्सा सौंपा गया है, वह कोअी छोटा नहीं है। कर्वे-कमेटीकी सिफारिशोंमें निश्चित रूपसे घरेलू बाजारके अेक-तिहाअी भागसे थोड़ा ज्यादा भाग हाथ-करघोंके लिअे सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया गया है। जब बड़े पैमानेके कपड़ा-अुद्योग पर किसी किस्मके प्रतिबंध नहीं लगाये गये थे और मुनाफा भी काफी अूंचा मिलता था, तब भी अुसने पुरानी मशीनोंकी जगह नअी मशीनें लाने या कारखानोंको आधुनिक ढंगका बनानेके लिअे हमेशा कअी तरहकी रिआयतोंकी मांग की है। घरेलू बाजारके बहुत बड़े भागकी तथा लगभग संपूर्ण निर्यात-बाजारकी अुपलब्धि और अुसके साथ कड़ी आन्तरराष्ट्रीय होड़ — ये सब बातें कारखानोंमें आवश्यक टेकनिकल कार्यक्षमता बनाये रखनेके लिअे काफी प्रेरक सिद्ध होनी चाहिये।

झूठे डर

७. यह भय बिलकुल झूठा मालूम होता है कि अुद्योगोंके विकासका विकेन्द्रित स्वरूप विदेशी विनिमय कमानेकी हमारी क्षमताको घटा देगा, क्योंकि कर्वे-कमेटीने निर्यातकी जिम्मेदारीको पूरी तरह बड़े पैमानेके क्षेत्र पर छोड़ दिया है। कपड़ा-अुद्योगको और कुछ हद तक तेलों और खलीको छोड़कर दूसरे जिन अुद्योगों पर कमेटीकी सिफारिशोंका असर पड़ता है, वे देशके विदेशी विनिमयकी प्राप्तिमें कोअी सहायता नहीं करते। जहां तक चमड़े और अुसकी दूसरी चीजोंका संबंध है, पकाया हुआ चमड़ा आजसे शायद थोड़ी ज्यादा सहायता अिस मामलेमें कर सकता है, क्योंकि पकाये हुअे चमड़ेकी चीजें कच्चे चमड़ेसे काफी अूंची कीमतमें बिकती हैं। फिर भी, अुद्योगोंके विकेन्द्रित स्वरूपके विकाससे भारतके निर्यात व्यापारकी मात्रामें या स्वरूपमें क्या परिवर्तन होंगे अिसका अन्दाज आज लगाना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि विकेन्द्रित स्वरूपमें राष्ट्रकी विशाल आर्थिक जरूरतोंके अनुकूल बननेके लिअे काफी लचीलापन होता है।

खपतका स्वरूप

८. डॉ० मदनकी रायमें कर्वे-कमेटीने आयके अनुसार बढ़नेवाली कपड़ेकी मांगकी पूरी तरह जांच नहीं की है। अुनके मतानुसार खपतके स्वरूपमें, खास करके कपड़ेके संबंधमें, होनेवाले परिवर्तन ज्यादा अुम्दा और महीन कपड़ोंके लिअे बढ़नेवाली पसन्दगीको बताते हैं, जो हाथ-करघे पैदा नहीं कर सकते। मोटे तौर पर यह सच है कि कपड़ा-अुत्पादन पिछले चार दशकोंमें तुलनामें कपड़ेकी ज्यादा अच्छी किस्में पैदा करनेकी ओर धीरे-धीरे बढ़ा है; लेकिन आज अधिकतर अुत्पादन मोटे और मध्यम श्रेणीके कपड़ेका ही होता है, जिसका लगभग ८० प्रतिशत कपड़ा भारतके ग्रामीण बाजारमें ही खपता है। ग्रामीण और शहरी भागोंमें कपड़ेकी प्रदेशवार बिक्रीका विश्लेषण बताता है कि ग्रामीण भागोंमें प्रति मनुष्य कपड़ेकी खपत शहरी भागोंसे बहुत ज्यादा नीची है और अेक प्रदेश तथा दूसरे प्रदेशके बीचकी खपतके स्तरोंमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर खपतकी आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हों और सारे देशमें आयकी वृद्धिकी संभावना और प्रमाण बढ़े, तो शहरी भागोंकी खपतके स्वरूपमें परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन अुसमें मात्राकी दृष्टिसे काफी परिवर्तन होनेकी संभावना नहीं है — गुणकी दृष्टिसे तो और भी कम। और अिस संबंधमें जो तथ्य और आंकड़े प्राप्त हैं वे अैसे अनुमानको अुचित नहीं ठहराते। अिसलिअे अुत्पादनका जो स्वरूप जन्म लेगा, वह संभवतः खपतके स्वरूपसे बेमेल नहीं होगा।

पूंजीकी लागतका स्वरूप

९. डॉ० मदनको डर है कि औद्योगिक विकासका विकेन्द्रित स्वरूप योजनामें पूंजीकी लागतको बरबादीका रूप दे सकता है, क्योंकि अुत्पादकोंका माल पैदा करनेवाले अुद्योगोंको अपने अुत्पादनके लिअे देशमें बाजार मिलनेकी संभावना नहीं है। जैसा कि हम अूपर समझा चुके हैं, बड़े पैमानेके अुद्योगोंके लगातार काम करनेसे अुत्पादकोंके मालके लिअे कुछ बाजार मिलेगा। लेकिन कारगर योजना बनाकर तेजीसे फैलनेवाले विकेन्द्रित अुद्योगोंके क्षेत्रकी जरूरतें पूरी करनेके लिअे लगाअी जानेवाली पूंजीके स्वरूपमें फेरबदल किया जा सकता है। अैसा फेरबदल न केवल अुत्पादकोंका माल पैदा करनेवाले अुद्योगोंके अुत्पादनके लिअे हमेशा फैलनेवाले बाजारको निश्चित बनायेगा, बल्कि डॉ० मदनकी अिच्छाके मुताबिक अुत्पादनकी विविधता, अूंची टेकनिकल कुशलताके विकास और मशीनोंके पुरजे बनानेवाले अुद्योगोंके विकेन्द्रित अुत्पादनको भी प्रादेशिक आधार पर निश्चित बनायेगा।

अुपसंहार

१०. सारांश : देशके विशाल सामाजिक और राजनीतिक मूल्योंसे मेल खानेवाले समाजके विकेन्द्रित स्वरूपको जन्म देनेकी दिशामें जानबूझकर किये जानेवाले धीमे और क्रमिक यांत्रिक परिवर्तनके लिअे यह जरूरी है कि विकासकी हर अवस्थामें यांत्रिक प्रगतिकी आवश्यक परिस्थितियां पैदा की जायं। चूंकि देशकी आर्थिक, सामाजिक और जनसंख्या संबंधी परिस्थितियां चीजोंकी खपतको खतरेमें डाले बिना जानबूझकर धीमी गतिसे किये जानेवाले अैसे परिवर्तनके लिअे गुंजाअिश रखती हैं, अिसलिअे अुत्पादनके हर क्षेत्रमें यंत्रों-संबंधी बेकारीको टालनेके लिअे कर्वे-कमेटीकी सिफारिशोंके मुताबिक बनाया जानेवाला क्रमिक कार्यक्रम परिवर्तन करनेके लिअे काफी आन्तरिक प्रेरणायें देता है और अुत्पादनके साथ प्रगतिका सन्तुलन कायम करता है। अुपलब्ध तथ्य यह बताते हैं कि शहरी भागोंको छोड़कर बाकी भागोंमें चीजोंकी खपतके स्वरूपमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, और बड़े पैमाने तथा छोटे पैमानेके अुद्योगोंके बीच अुत्पादनका बंटवारा मांग और पूर्तिके बीच स्थायी मेलको तथा निर्यातके सामान्य स्तरोंकी स्थायी प्राप्तिको निश्चित बनाता है। अिसलिअे जरूरत अिस बातकी है कि बुनियादी अुद्योगोंके प्रस्तावित विकासकी योजना जल्दी अिस तरह की जाय कि अुससे छोटे पैमानेके विकेन्द्रित औद्योगिक क्षेत्रकी भावी जरूरतें पूरी की जा सकें।

(अंग्रेजीसे) **जे० डी० सुन्दरम्**

विषय-सूची

		पृष्ठ
सच्ची सलाह	मगनभाई देसाई	३७७
भाषा-सम्बन्धी जो क्रांति हमें चाहिये — १	बी० जी० खेर	३७८
धर्मोंके प्रति सरकारकी नीति	मगनभाई देसाई	३८०
स्कूलोंमें भाषाओंका अध्ययन	मगनभाई देसाई	३८१
गुड़ और खांड़सारीका अुद्योग	वि०	३८२
अुत्पादन बनाम कामधन्धा	जे० डी० सुन्दरम्	३८३

www.vinoba.in